भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 09/2023
दिनांकः– 25 अप्रैल, 2023

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 4.12 (vi) में संशोधन।

समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.12 (vi) के प्रावधान में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

मौजूदा पैरा 4.12 (vi)	संशोधित पैरा 4.12 (vi)
पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किसी भी अग्रिम प्राधिकार–पत्र के संबंध में 01.04.2023 को या उसके बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय में किसी भी मानदंड समिति (एनसी) द्वारा अनुसमर्थित मानदंड, अनुसमर्थन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वैध होगें। चूंकि मानदंड समिति के सभी निर्णय विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट पर कार्यवृत के रुप में उपलब्ध हैं अतः अग्रिम प्राधिकार–पत्र के अन्य सभी आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं और इन मानदंडों की वैधता के दौरान, आवृत्ति आधार पर ऐसे अनुसमर्थित मानदंडों के आधार पर अपने प्राधिकार–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह पैरा परिशिष्ट 4त के तहत सूचीबद्ध मदों के लिए आवेदित प्राधिकार पत्रों के लिए लागू नहीं है।	पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किसी भी अग्रिम प्राधिकार–पत्र के संबंध में 01.04.2023 को या उसके बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय कार्यालय में किसी भी मानदंड समिति (एनसी) द्वारा अनुसमर्थित मानदंड, अनुसमर्थन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, वैध होगें। **तथापि, प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के पैरा 4.07 के तहत प्राप्त किसी भी अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में दिनांक 01.04.2015 या उसके बाद किसी भी मानदंड समिति (एनसी) द्वारा अनुसमर्थित मानदंड भी दिनांक 31.03.2026 तक वैध रहेंगें।** चूंकि मानदंड समिति के सभी निर्णय विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट पर कार्यवृत के रुप में उपलब्ध हैं अतः अग्रिम प्राधिकार–पत्र के अन्य सभी आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं और इन मानदंडों की वैधता के दौरान, आवृत्ति आधार पर ऐसे अनुसमर्थित मानदंडों के आधार पर अपने प्राधिकार–पत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह पैरा परिशिष्ट 4त के तहत सूचीबद्ध मदों के लिए आवेदित प्राधिकार पत्रों के लिए लागू नहीं है।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः व्यापार करने में सुगमता और दिनांक 31.03.2026 तक सौदा लागत को कम करने हेतु प्रक्रिया पुस्तक, 2015–2020 के पैरा 4.07 तहत अग्रिम प्राधिकार–पत्र स्कीम के संबंध में दिनांक 01.04.2015 से अनुसमर्थित तदर्थ मानदंड की वैधता को बढ़ाने हेतु प्रक्रिया पुस्तक 2023 के पैरा 4.12 (vi) के संशोधित किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
25.4.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/94/180/011/एएम24/पीसी–4 से जारी)